207/22

हुक्म या कार्यवाही अय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/7/23	

प्रार्थीगण वकील उपस्थित । विप्रार्थी संख्या 1,3 ता 12 के वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण वकील की ओर से प्रार्थना पत्र खारिज करने का पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि अन्य केतागण को बेचान कर मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया है, जिसकी पालना मे नामान्तरणकरण भी पारित किया जा चूका है । प्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि के खातेदार नही रहे है, जिससे प्रार्थीगण का कोई हक हित अधिकार प्रश्नगत भूमि मे शेष नहीं है । ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विधि द्वारा वर्णित हो जाने से खारिज किये जाने का निवेदन किया है ।

प्रार्थीगण वकील ने प्रार्थना पत्र का जबाब पेश न कर सीधे बहस की गई।

प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण संख्या 1, 3 ता 12 के वकील को सुना गया। चूकी प्रार्थीगएण द्वारा उक्त भूमी अन्य केतागण को बेचान कर दी गयी व नामान्तरकरण भी पारित हो चूका है । प्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि का खातेदार नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र औचित्यहीन, निष्प्रभावी होने से खारिज किया जाता है ।

उप खण्ड अधिकारी
(SDO), बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 21:00:01 IST
Reason: SelfAttested